न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम सुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या 22/2017

वादीगण :–

1. घीसाराम पुत्र स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष
2. प्रकाशराम पुत्र स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष
3. मांगीलाल पुत्र स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष
4. हणमानी पत्नी स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष
5. केशर देवी पुत्री स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष
6. सोहनी देवी पुत्री स्व. नानूराम जाति जाट उम्र 47वर्ष

सभी निवासियान ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामेश्वर पुत्र स्व. नारायणराम
2. लालूराम पुत्र स्व. नारायणराम
3. भूरी देवी पत्नी स्व. नारायणराम
4. कमला देवी पुत्री स्व. नारायणराम सभी जाति जाट निवासियान ग्राम करकेड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 **R.T.Act 1955**

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 04/08/2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 171 रकबा 101 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 165 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 166 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 163 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 164 रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं. 152 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गणेश, डालू, चूना पि. पदमा की सहखातेदारी में दर्ज चली आई थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गणेश, डालू, चूना ने आपसी सहमति से उपरोक्त खसरों का बंटवारा कर लिया। बंटवारे का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 158 दर्ज किया गया। इस वाद में खसरा नं. 171, 165, 166, 163, 164 के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इस वाद की विषय वस्तु गत खसरा नं. 152 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा जिसके द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा नं. 298 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

299 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 300 रकबा 4.57 हैक्टर कायम हुए। उपरोक्त खसरा वादीगण के पिता नानूराम पुत्र गणेशाराम के हिस्से में रखा गया था, परन्तु राजस्व रेकर्ड में नानूराम की वल्दियत उक्त खसरा नं. 152 में नानू पुत्र लादू गलती से अंकित कर दी गई थी। जबकि नानूराम पुत्र गणेशाराम ही सही नाम है। गणेशाराम पुत्र पदमाराम के दो पुत्र नारायणराम व नानूराम हुए। नानूराम का स्वर्गवास दिनांक 12/02/2017 को हो चुका है। उनके वारिस वादीगण हैं एवं नारायणराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 4 हैं। नारायणराम जी के हिस्से में अन्य खसरान की भूमि आई हुई है। गत खसरा नं. 152 जिसके नवीन नम्बर 298, 299, 300 हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कोई हक–हिस्सा नहीं है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 4 गणेशाराम जी के वारिस होने के कारण वादीगण को उपरोक्त खसरा नं. 298, 299, 300 में से बेदखल करने पर उतारू हैं जबकि उनको बंटवारे में अन्य खसरे दिये जा चुके हैं एवं उनकी खातेदारी भी राजस्व रेकर्ड में अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 गणेशाराम जी के वारिसान होने के कारण एवं बंटवारा हो जाने के बावजूद भी खसरा नं. 298, 299, 300 में से वादीगण को उनके हक–अधिकार की भूमि से बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि वे उसमें सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। वादीगण राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 298, 299, 300 में नानूराम पुत्र लादूराम के स्थान पर नानूराम पुत्र गणेशाराम अंकित कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता नारायणराम को बंटवारे में अन्य खसरों की भूमि दी जा चुकी है इसलिए गणेशाराम जी के वारिस होने से खसरा नं. 298, 299, 300 में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को कोई अधिकार नहीं मिलते। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की वल्दियत गलत अंकित होने का ज्ञान होने पर बमुकाम ग्राम करकेड़ी पैदा हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम करकेड़ी के खसरा नं. 298 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 299 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 300 रकबा 4.57 हैक्टर स्व. नानूराम पुत्र गणेशाराम की खातेदारी के हैं एवं नानू पुत्र लादू की खातेदारी के नहीं हैं एवं वादीगण नानूराम पुत्र गणेशाराम के वारिसान होने के नाते उपरोक्त खसरों के खातेदार काश्तकार हैं। समस्त राइट्स ऑफ रेकर्ड्स में संशोधन कर उपरोक्त खसरा नं. 298, 299, 300 में नानूराम पुत्र लादूराम के स्थान पर नानूराम पुत्र गणेशाराम अंकित फरमाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 4 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को उपरोक्त खसरा नं. 298, 299, 300 से बेदखल नहीं करें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जिस तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री मेवाराम चौधरी द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद इतला के अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि करकेड़ी के खसरा नम्बर 298 299 300 मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक–हिस्सा नही है। उपरोक्त खसरो के राजस्व रेकर्ड में नानूराम पुत्र लादूराम सहवन से अंकित हो गया है। नानूराम पुत्र लादूराम के स्थान पर नानूराम पुत्र गणेशाराम अंकित किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। नानूराम पुत्र लादूराम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित है, वास्तव में नानूराम के पिता का नाम गणेशाराम है, अन्य खातेदारी के खेतो में नानूराम पुत्र गणेशराम ही अंकित है, खसरा नम्बर 298 299 300 वादीगण की खातेदारी के है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है, वादीगण का वाद माफिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2010–2013 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 152 रकबा 28बीघा 13 बिस्वा मे गणेश डालू चूना पि. पदमा कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2019–2022, 2023–2026, 2026–2029, 2030–2033, 2033–2036 मे भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज चली आ रही है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 165 रकबा 3.21 हैक्टर खसरा नम्बर 403 रकबा 3.04 हैक्टर कुल रकबा 6.25 हैक्टर मे नारायणराम नानूराम पि. गणेशाराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 394 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 395 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 396 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 397 रकबा 8.61 हैक्टर कुल रकबा 8.69 हैक्टर में अमराराम वल्द दयालाराम 1/8 रूपाराम शिवकरण रामेश्वर सुगनचन्द पि. गंगाराम1/8 ब.हि.ब. टिकू पि. किशना घीसाराम पूराराम पि. खेमाराम 1/8 तुलछाराम बनाराम किस्तूराराम पि.रामूराम 1/8 गोविन्दराम पुत्र बोदूराम चोखाराम पिता देवा 1/8 जीवणराम वल्द दयालाराम 1/8 जाति जाट भंवरलाल औमप्रकाश बाबूलाल पि. भैरूबक्ष कौम ब्राहम्ण 1/8 नारायणराम नानूराम पि. गणेशराम चोखी बैवा गणेशाराम 1/8 कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 299 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 300 रकबा 4.57 हैक्टर कुल रकबा 4.60 हैक्टर में नानूराम पुत्र लादूराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 152 मी के नये खसरा नम्बर 298 299 300 अंकित हुए है। नामान्तरकरण संख्या 158 अनुसार गत खसरा नम्बर 171 165 166 152 163 164 का बंटवारा होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई, जिसमे गत खसरा नम्बर 152 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा में नानू पुत्र लादू जाट सा. दहे खातेदा दर्ज हुआ है तथा खसरा नम्बर 171 डालूराम चुनाराम पि. पदमाराम कौम जाट. खसरा नम्बर 165 166 डालूराम चुनाराम पि. पदमा1/4 तथा शेष हिस्सा अन्य के नाम दर्ज है, खसरा नम्बर 163 164 गणेश पुत्र पदमा हि 1/8 बाकी बदस्तूर दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 298 299 300 कुल रकबा 4.60 हैक्टर में नानूराम पुत्र लादूराम जाट सा.देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जिलिया मूर्तहीन दर्ज है। वादी वकील द्वारा सम्बन्धित शाखा का नो–ड्यूज प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार नानूराम पुत्र गणेशाराम की मृत्यु दिनॉक 12.02.2017 को हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण है। नामान्तरकरण संख्या 158 अनुसार ग्राम करकेड़ी के गत खसरा नम्बर 152 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में नानू पुत्र लादू अंकित रहा है। जबकि वास्तविक नाम नानू पुत्र गणेश होना चाहिए था। वर्तमान जमाबन्दी में नानूराम पुत्र लादूराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज चला आ रहा है। करकेड़ी के खाता संख्या 10 में नारायणराम नानूराम पि. गणेशराम चोखी बैवा गणेशराम जाट अन्य सह खातेदारान के साथ दर्ज है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 44 में नारायणराम नानूराम पि.गणेशराम चोखी देवी बैवा गणेशराम कौम जाट दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 से 4 नानूराम के भाई नारायणराम के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भी इन्होने नानूराम की वल्दियत गणेशराम होना बताई है तथा उपरोक्त शुद्वि किया जाने का कथन किया है। ग्राम पंचायत परेवड़ी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र 22.05.2017 में भी नानूराम पुत्र गणेशराम के वारिसान का जिक्र है तथा नानूराम पुत्र लादूराम नाम का कोई व्यक्ति नही है नानूराम पुत्र गणेशराम व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके उत्तराधिकारी वादीगण है। पहचान पत्र संख्या **RJ/25/196/537364** मे नानूराम पुत्र गणेशाराम नाम अंकित है एवं आधार कार्ड संख्या 271829681950 मे नानूराम पुत्र गणेशाराम नाम अंकित है। उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, वारिस प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति,आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति इत्यादि अनुसार नानूराम पुत्र लादूराम के स्थान पर नानूराम पुत्र गणेशराम नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से वाद वादीगण साबित होने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 298 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 299 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 300 रकबा 4.57 हैक्टर कुल रकबा 4.60 हैक्टर में नानूराम पुत्र लादूराम कौम जाट सा. देह के नाम दर्ज प्रविष्टि में नानूराम पुत्र गणेशाराम कौम जाट सा.देह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मृतक नानूराम के विधिक वारिस वादीगण को उपरोक्त खसरान की भूमि में बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 04/08/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)